

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12695/5504

दिनांक :- 05/06/2020

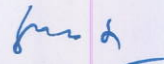
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री कमलेश बिश्वोई [लिंक न. 12695] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय, कोषाधिकारी कोष एवं लेखा विभाग जालौर - [3000422] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 24/09/2018 से 28/09/2018 तक 5 दिवस

कुल 5 दिवस

उक्त कुल 5 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री कमलेश बिश्वोई की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12695/5504

दिनांक :- 05/06/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी कोष एवं लेखा विभाग जालौर
2. श्री /श्रीमती / सुश्री कमलेश बिश्वोई [12695] कनिष्ठ लेखाकार कोषाधिकारी कोष एवं लेखा विभाग जालौर
3. निजी सचिव, निदेशक
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12570 / 5505

दिनांक :- 05/06/2020

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री खिलाडी लाल मीना [लिंक न. 12570] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधि विभाग, जयपुर - [8014] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 23/08/2017 से 23/08/2017 तक 1 दिवस

दिनांक 16/05/2019 से 23/05/2019 तक 8 दिवस

कुल 9 दिवस

उक्त कुल 9 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री खिलाडी लाल मीना की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12570 / 5505

दिनांक :- 05/06/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधि विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री खिलाडी लाल मीना [12570] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधि विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)